दिनांक: १७/०४/२०१४

<u>प्रेस नोट</u>

१-दमन एवं दीव संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव-२०१४ में किसी भी प्रकार के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन न हो उनके लिये निर्वाचन अधिकारी श्री रमेश वर्मा ने विभिन्न बैठकों के दौरान सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवारों को चेताया था, उसके बावजूद दिनांकः १५/०४/२०१४ मंगलवार रात को १०:०० बजे नोडल अधिकारी एवं मुख्य अधिकारी, दमण नगरपालिका ने दमण पुलिस को फ़रियाद दी थी कि, कांग्रेस के उम्मीदवार श्री केतन भाई पटेल ने सोमनाथ, डाभेल में करीबन ५०० लोगो की हाजरी में पूजा का आयोजन किया था इस पूजा के लिए पंडाल लगाये गए थे एवं ५०० लोगो के खाने का भी इंतज़ाम किया गया था, और लोग उस स्थल पर खाना भी खा रहे थे साथ में पंडाल में कांग्रेस के बैनर्स एवं फ्लेग्स लगाये गए थे | उक्त स्थल पर उपस्थित श्री राजकुमार सिंघ, जो की श्री डाह्याभाई के अंग रक्षक है उन्होंने यह बताया की श्री केतन भाई ने समाहर्तालय से जरुरी परमिशन ले ली है, किन्तु जाँच करने पर पता चला की इस पूजा के लिए आवश्यक कोई परमिशन नहीं ली गई थी, जिससे यह साफ़ पाया गया कि दमण एवं दीव के कोंग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री केतन भाई पटेल ने राजनैतिक फायदे के लिए धार्मिक संस्था का दुरोपयोग, बिना अनुमति पब्लिक मीटिंग, बिना अनुमति रात के १०:०० बजे के बाद लाऊड स्पीकर का उपयोग और मतदाताओं को भोजन का प्रलोभन देकर मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर उन पर दिनांक; १६/०४/२०१४ के दिन एन.सी. केस नं. ६/२०१४, सेक्शन 171(F)(i),171(H),171(I) आई.पी.सी के तेहत रजिस्टर किया गया है|

निर्वाचन विभाग आशा करता है कि इस प्रकार से आगामी दिनों में अन्य उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें और दमण एवं दीव में शांतिपूर्ण माहोल में चुनाव संपन्न कराने में निर्वाचन विभाग को सहयोग करें|

****